बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आदेश

आ0सं0–01/स्था0 (विविध)–18/2019.....2791...../न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक 06/6/19

नगर निकायों द्वारा केन्द्रीय विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन/निकायों द्वारा किये गये कार्य के संबंध में आम नागरिकों को जानकारी देने हेतु माह में एक दिन town hall concept के तर्ज पर सभी निकायों में आम सभा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. आम सभा में नागरिकों के शिकायतों का त्वरित निष्पादन एवं योजनाओं/कार्यक्रमोंके बेहतर कार्यान्वयन हेतु सुझाव भी प्राप्त किया जाएगा।

3. आम सभा में महापौर/उप महापौर, सभापति/उप सभापति, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं नगर निकाय के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आम सभा के संबंध में नागरिकों की जानकारी हेतु नगर निकायों द्वारा दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। उक्त आम सभा पर होने वाले व्यय का वहन निकायों द्वारा उनके आँतरिक संसाधन मद से किया जाएगा।

4. माह के अंतिम शुक्रवार को ऐसी आम सभा का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित दिन को अवकाश रहने की स्थिति में उस माह में निश्चित तिथि के पहले अथवा अगले दिन सुविधानुसार आम सभा का आयोजन किया जाएगा तथा निकायों द्वारा पूर्व सूचना आम नागरिकों को दी जायेगी।

5. आम सभा के दिन जिले के लिए नामित विभागी नोडल पदाधिकारी भी अपने जिले के निकायों में उपस्थित रहेंगे। चूँकि नोडल पदाधिकारी की संख्या कम है, अतः इनके अतिरिक्त प्रभारी परियोजना पदाधिकारियों एवं केन्द्रीय योजनाओं के तहत गठित PMC के Team Leaders को भी आम सभा में उपस्थिति रहने हेतु निदेशित किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर से अलग से सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(राम सेवक प्रसाद),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–18/2019......................................./न0वि0एवं0आ0वि0, पटना/दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के प्रभारी/नोडल पदाधिकारी/योजनाओं के PMC leaders, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–18/2019.....2791...../न0वि0एवं0आ0वि0, पटना/दिनांक–06-6/19

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद्/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.6.19
सरकार के अवर सचिव।

D:\LETTER-2019\KARYALAY AADESH.doc- 158 -